

कार्यालय :- जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

(समग्र शिक्षा अभियान)

कचहरी चौक, अम्बेदकर भवन, मोतिहारी-845401।

Phone No.- 06252-239249, Fax No.- 06252-239589, Email - bepeastchamparan@gmail.com

पत्रांक 534/

प्रेषक,

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

सेवा में,

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक
मार्कट लिटेरा जी स्कूल
भरीलिया, प्रखंड-मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण।

मोतिहारी दिनांक 30/05/18 /

विषय:- बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम-2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम-11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रसवीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय / महाशया,

आपके आवेदन-पत्र दिनांक-27.01.2018 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय मार्कट लिटेरा जी स्कूल, (विद्यालय का नाम एवं पूरा पता) भरीलिया, प्रखंड-मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण। कक्षा से 1-8 तक संचालन हेतु पत्र निर्गत की तिथि से 31.03.2019 अवधि के लिए औपबधिक प्रसवीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रसवीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी :-

1. प्रसवीकृति किसी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्नक-1) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 (अनुलग्नक-2) का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
4. कंडिका 3 में उद्धृत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय-अलग से बैंक खाता का संचारण करेगा।
5. सोसाईटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता-पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म-स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।

Accounts/Deepak/Daily Work/Letter/26-05-2018/SSA.

Rg

7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे। (38)
- i- किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।
 - ii- किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।
 - iii- किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
 - iv- प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
 - v- अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा।
 - vi- शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, वे 5 वर्षों के अन्दर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे।
 - vii- शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।
 - viii- विद्यालय राज्य निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण-गतिविधि में सलग्न नहीं होंगे।
8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्चा का अनुसार करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदंडों को बारबार रखेगा। विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नतः-
- | | |
|---|----------|
| विद्यालय-परिसर का क्षेत्रफल- | 3.5 एकड़ |
| कुल निर्मित क्षेत्र- | 1 एकड़ |
| खेल का मैदान का क्षेत्र- | हाँ |
| वर्ग कक्षों की कुल संख्या- | 40 |
| प्रधानाध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भंडार कक्ष- | 01 |
| बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय- | 16 |
| पेयजल की सुविधा- | हाँ |
| माध्याह्न भोजन के लिए रसोई-घर- | हाँ |
| बाधारहित पहुँच- | हाँ |
| शिक्षक अधिगम सामग्री/खेल-कूद उपकरण/पुस्तकालय- | हाँ |
11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्ग कक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।
12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।
13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।
14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।

Ry

- (3)
15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपयुक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेजी जाएगी।
 16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृति कोड संख्या-EC-MOT/292/18-19 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को अंकित एवं उद्धृत किया जाए।
 17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा / जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा समय-समय पर मॉग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएँगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृति की शर्तों के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।
 18. यदि सोसायटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।
 19. अनुलग्नक-III के रूप में संलग्न अन्य शर्तें।

26/5/18

विश्वासभाजन

Rg 26/05/18

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
(प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान.)
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

[Signature]
Principal
Mount Litera Zee School
Motihari

Sanjay Kumar Gupta
Mount Litera Zee School
Motihari